न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 44/2020

सहेन्द्र सिंह पुत्र जगमाल, जाति अहीर निवासी ढाणी दोचाना उप तहसील सिंघाना,तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.8.2020
बअदालत नायब तहसीलदार सिंघाना उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सहेन्द्र
मु.न. 25/2020, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थितिः—

1 .श्री राजकुमार सैनी , एडवोकेट ———— ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 17.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.8.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सहेन्द्र मु.न. 25/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— योग्य अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नहीं किया। अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। हल्का पटवारी डूमोली कलां ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.8.2020 में अपीलांट का पुराना मकान बना हुआ बताया है जिसमें अपीलांट अपने परिवार सहित रह रहा है। उक्त खसरा में 30—35 मकान और बने हुये हैं, कोई भी नया अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने अपने मकानों में बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे हैं और पक्के मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 26.8.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— योग्य अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नहीं किया। अदालत मातहत का आदेश विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। हल्का पटवारी डूमोली कलां ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.8.2020 में अपीलांट का पुराना मकान बना हुआ बताया है जिसमें अपीलांट अपने परिवार सहित रह रहा है। उक्त खसरा में 30—35 मकान और बने हुये हैं, कोई भी नया अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने अपने मकानों में बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे हैं और पक्के मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित कर बेदखली का आदेश दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 26.8.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दौचाना स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 493/202 किस्म गै0 मु0 जोहड़ के रकबा 88 वर्ग मीटर में अवैध रूप से आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है । जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी डूमोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने ग्राम दौचाना स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 493/202 किस्म गै0 मु0 जोहड़ के रकबा 88 वर्ग मीटर में अवैध रूप से आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील हुई है। अपीलांट को जवाब पेश करने का पूरा अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे विवादित भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित आदेश 25/2020 दिनांक 26.8.2020 सरकार बनाम सहेन्द्र यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

17.08.21

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:52 IST
Reason: SelfAttested